राजस्व वाद संख्या 1/2025
GCMS NO. 2025/32
रामनाथ वगै0 बनाम अंकित वगै0
आदेश दिनांक 13.08.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)
पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 1/2025
GCMS No. 2025/32

1. रामनाथ पुत्र बहादुरसिंह जाति जाट निवासी गुगन की ढ़ाणी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. देवकरणसिंह पुत्र बहादुरसिंह जाति जाट निवासी गुगन की ढ़ाणी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
3. भागचन्द पुत्र बहादुरसिंह जाति जाट निवासी गुगन की ढ़ाणी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
4. दयाचन्द पुत्र बहादुरसिंह जाति जाट निवासी गुगन की ढ़ाणी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. अंकित पुत्र होशियारसिंह जाति जाट निवासी गुगन की ढ़ाणी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. कुलदीप पुत्र होशियारसिंह जाति जाट निवासी गुगन की ढ़ाणी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
3. बसन्ती देवी पत्नी होशियारसिंह जाति जाट निवासी गुगन की ढ़ाणी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
4. हेमराज पुत्र बहादुरसिंह जाति जाट निवासी गुगन की ढ़ाणी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
5. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा अलसीसर जरिये शाखा प्रबन्धक
6. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मलसीसर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वकील प्रार्थी – श्री विजयसिंह लालपुरिया
वकील अप्रार्थी– श्री जयसिंह गोड़

निर्णय

दिनांक 13.08.2025

संक्षेप मे आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है किवाके ग्राम गुगन की ढ़ाणी पटवार हल्का कंकड़ेऊ कला की सरहद में भूमि ख0न0 16, 17, 18, 22 कुल किता 4 कुल रकबा 1.54 है0 भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि आवेदकगण व अनावेदक संख्या 4 की संयुक्त खातेदारी काश्तकार की भूमि है। ग्राम गुगन की ढ़ाणी में भूमि ख0न0 139/12 रकबा 0.52 है0 भूमि अनावेदक संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। जिस परवे काबिज काश्त है। आवेदकगण अपनी भूमि में आने जाने के लिये नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दु ए से बी, बी से सी, सी से डी तथा डी से ई बिन्दु तक आवागमन करते है। लेकिन उक्त मार्ग मौके पर काफी संकड़ा मार्ग होने से आवेदकगण अपने खेत में

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

काश्त के लिये टैक्टर, ट्राली आदि नहीं ले जा सकते है। जिससे आवेदकगण को अपनी फसल काश्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अनावेदकगण अपनी तारबन्दी को खिसकार उक्त रास्ते का संकड़ा कर रहे है तथा बन्द करने की फिराक में है। आवेदकगण के पास अपने खेत में जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है इसलिये आवेदकगण उक्त रास्ते को 6 मीटर चौड़ा राजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज करवाना चाहते है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदक को अपनी भूमि खेत ख0न0 16, 17, 18, 22 में आने–जाने के लिये अनावेदकगण के खेत ख0न0 139/12 में नजरी नक्शे में दर्शाये बिन्दु ए से बी, बी से सी, सी से डी व डी से ई तक 6 मीटर चौड़ा रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता अकंन किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मलसीसर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थी संख्या 4, 5 की ओर से कोई उपसंजात नहीं हुआ। पक्षकारान को नोटिस विधिवत तामिल होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपसंजात नहीं होते है तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अप्रार्थी संख्या 4, 5 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले भूमि दिये जाने पर 4 मीटर चोड़ा रास्ता दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता आवेदक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आवेदकगण के पास अपने खेत में आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है इसलिये नजरी नक्शे में दर्शित रास्ताराजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौराने बहस रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले भूमि दिये जाने पर 4 मीटर चोड़ा रास्ता दिये जाने में सहमती व्यक्त की। आवेदकगण व अनावेदकगण की ओर से कायम किया जाने वाला रास्ता व रास्ते में आने वाली भूमि के बदले दी जाने वाली भूमि का प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सींमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी की ओर से अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि ख0न0 16, 17, 18, 22 में आने जाने हेतु खेत ख0न0 139/12 में से सलंग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार रास्ता चाहा गया है। अप्रार्थीगण रास्ते में आने वाली भूमि के बदले भूमि दिये जाने पर 4 मीटर चौड़ा रास्ता दिये जाने में सहमत है। आवेदकगण व अनावेदकगण की ओर से कायम किया जाने वाला रास्ता व रास्ते में आने वाली भूमि के बदले दी जाने वाली भूमि का प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया है जिस पर दोनो पक्षकार सहमत है। इसलिये दोनो पक्षों की सहमती के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण को खेत खसरा नम्बर 16, 17, 18, 22 में आने–जाने के लिये ख0न0 139/12 में से आवेदकगण व अनावेदकगण की ओर से कायम किया जाने वाला रास्ता व रास्ते में आने वाली भूमि के बदले दी जाने वाली भूमि का नजरी नक्शा/प्रस्ताव अनुसार बिन्दु ए से बी, बी से सी, सी से डी तथा डी से ई तक 4 मीटर चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले नजरी नक्शा/प्रस्ताव में लाल स्याही से दर्शित बिन्दु एफ से जी की भूमि अनावेदकगण 1 लगायत 3 के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। नजरी नक्शा/प्रस्ताव आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार मलसीसर को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर